

महात्मा गांधी विद्यामंदिर संचलित,  
कला, विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय, मनमाड  
तहसील - नांदगाँव जिला - नासिक ( महाराष्ट्र )

## मानक कार्य प्रणाली

( Standard Operating System )

## हिंदी विभाग

( Department of Hindi )

शैक्षिक वर्ष : 2022 - 2023

### मानक कार्य प्रणाली अनुक्रमणिका

अ. क्र.	विषय	पृष्ठ संख्या
1	शीर्षक पृष्ठ	1
2	अनुक्रमणिका	2

3	मानक कार्य प्रणाली	3
4	मानक कार्य प्रणाली का उद्देश्य	4
5	कर्तव्य और ज़िम्मेदारी	5
6	मानक कार्य प्रणाली का क्रियान्वयन	5-6-7
7	सावधानता, संभाव्यता और अन्य बातें	8
8	अंतर विभागीय सह - संबंध	9

महात्मा गांधी विद्यामंदिर संचलित,  
कला, विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय, मनमाड  
तहसील - नांदगाँव जिला - नासिक ( महाराष्ट्र )

**हिंदी विभाग**

**मानक कार्य प्रणाली**

( Standard Operating System )

पुनरावलोकन और स्वीकृति - मा. प्राचार्य डॉ. ए.व्ही.पाटील

कला, विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय, मनमाड ( नासिक )

हस्ताक्षर

अधिकृत - महात्मा गांधी विद्यामंदिर, पंचवटी, नासिक ( महाराष्ट्र )

## 1. मानक कार्य प्रणाली का उद्देश्य -

1. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों का उद्देश्य साध्य करना ।
2. छात्रों को अध्यापन करके उनकी प्रश्न तथा समस्याओं का समाधान करना ।
3. छात्रों का समय - समय पर यथायोग्य एवं पारदर्शक मूल्यांकन करके उनकी स्तरीयता बढ़ाना ।
4. छात्रों में साहित्य पढ़न - पाढ़न की अभिरुचि निर्माण करने के लिए विभिन्न विद्वानों की व्याख्यानमाला का आयोजन करना ।
5. छात्रों में वाचन, लेखन, संवाद, श्रवण कौशल और वक्तृत्व, वाद - विवाद एवं सुसवाद कौशल विकसित करना ।
6. छात्र एवं अध्यापकों की जानकारी श्रेणीबद्ध करके उनको व्यवस्थित बनाकर सुरक्षित रखना ।
7. महाविद्यालय के अन्य विभागों के कार्यक्रमों में सहायता करना व उनके साथ सौहार्दपूर्ण समन्वय बनाये रखना ।
8. महाविद्यालय की विविध समितियों के कार्यों में सहभागिता करना और उससे संबंधित जानकारी का समायोजन करके संरक्षित करना ।

9. अध्यापकों ने अध्ययन - अध्यापन कार्य तथा अन्य कामों में सर्वोच्च प्रामाणिकता निर्माण करना ।
10. गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत अध्यापकों ने अपने विषय के संदर्भ में शोध कार्य सहभागिता करना ।
11. शैक्षिक संस्थान में कार्य कराते हुये संस्थान के उद्देश्य साध्य करना और उनकी गौरव - गरिमा में बढ़ोतरी में योगदान देना ।

## 2. कर्तव्य और ज़िम्मेदारी -

1. पाठ्यक्रमों के उद्देश्यों की परिपूर्ति के लिए अध्यापन का नियोजन करना । उसके लिए महाविद्यालयीन समय - सारणी के अनुसार विभागीय तथा निजी समय-सारणी बनाना ।
2. अध्यापन का उचित वार्षिक नियोजन तैयार करना ।
3. छात्रों को अध्ययन के विविध आधुनिक संसाधन उपलब्ध कर देना ।
4. अध्यापन में विभिन्न आधुनिक तंत्रज्ञान के साधनों का प्रयोग करना ।
5. छात्रों को समय पर स्वाध्याय देकर उनका मूल्यांकन करना ।
6. विविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों के उद्देश्यों की परिपूर्ति हो रही कि नहीं आदि
7. छात्रों के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास कि ओर ध्यान देना ।
8. छात्र, अभिभावक, अध्यापकों में सार्थक समन्वय रखने के लिए विविध कार्यक्रमों का आयोजन करना ।
9. अपनी संस्थान के उद्देश्यों को साध्य करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करना तथा संस्थान ने लागू किये गए नियमों का पालन करना ।
10. प्राचार्य के आदेशों का पालन करना ।
11. महाविद्यालय में यथासंभव समय - समय पर विशेषज्ञों के व्याख्यानो का आयोजन करना ।
12. विभाग में संगोष्ठी का आयोजन करना ।
13. भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, महाराष्ट्र शासन, विश्वविद्यालय, संस्थान द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों में सहभागी होना ।

14. भारत सरकार एवं शिक्षा मंत्रालय द्वारा लागू की गयी नयी शिक्षा नीति की परिपूर्ति एवं उद्देश्यों को सफल बनाने में प्रामाणिकता के साथ अपना योगदान देना ।
15. विभाग, छात्रों एवं निजी जानकारियों का व्यवस्थापन कर श्रेणियों में विभाजित कर जतन करना ।
16. महाविद्यालय के विविध विभागों में सह- संबंध स्थापित करके उनके कार्यों में सहायता कर सहभागिता करना ।
17. अध्यापकों ने अपना कर्तव्य और ज़िम्मेदारी का ध्यान रखना ।
18. छात्रों को निबंधा लेखन, वक्तृत्व, वाद - विवाद, काव्य लेखन प्रतियोगिता के लिए प्रेरित करना ।
19. छात्रों में कला - गुणों के साथ चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण और एक कर्तव्यपारायण ईमानदार नागरिक निर्माण करना अध्यापकों का कर्तव्य एवं ज़िम्मेदारी हैं ।
20. छात्रों का योग्य एवं पारदर्शक मूल्यांकन करना
21. विश्वविद्यालय, संस्थान, महाविद्यालय के कामकाज में सहायता करके महाविद्यालय की स्तरीयता में सुधार लाने में योगदान देना ।

### **3. मानक कार्य प्रणाली का क्रियान्वयन -**

1. महाविद्यालय के प्राचार्य के आदेशों का पालन करना ।
2. महाविद्यालय के प्राचार्य ने आमंत्रित की गई प्रत्येक बैठक में उपस्थित रहना ।
3. शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय, संस्थान, महाविद्यालय द्वारा लागू किये गये नियमों का पालन करना ।
4. विभागीय पाठ्यक्रमों के समय - सारणी तैयार कर अध्यापन का कार्य करना ।
5. विभागीय अध्यापन का वार्षिक नियोजन तैयार करना ।
6. अध्यापन तथा विभागीय कार्यक्रमों के साप्ताहिक प्रतिवेदन IQAC को देना ।
7. राष्ट्रीय तथा राज्य शासन, विश्वविद्यालय, संस्थानमहाविद्यालय द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों में उपस्थित रहना ।

8. छात्रों ने दी हुई परीक्षा के पर्चों का उचित एवं पारदर्शक मूल्यांकन कर परिणाम या अंक-तालिका IQAC व परीक्षा विभाग को सौंपना ।
9. महाविद्यालय द्वारा गठित समितियों का कामकाज समय पर करना ।
10. विभाग, छात्रों एवं विभागीय कार्यक्रमों की तथा निजी जानकरियों का व्यवस्थापन कर उसे सुरक्षित रखना ।
11. छात्रों के लिए शैक्षिक संस्थानों को भेट का आयोजन करना ।
12. छात्रों को स्वाध्याय देकर उनका मूल्यांकन करना ।
13. विश्वविद्यालय, संस्थान एवं महाविद्यालय के परीक्षा विभाग द्वारा दिये कामकाज को पूरी गोपनियता को बरकरार रखते हुए प्रामाणिकता के साथ कर्तव्य का पालन करना ।
14. छात्रों की दैनिक उपस्थिती का ब्यौरा सुरक्षित रखना ।
15. छात्र, अभिभावक एवं अध्यापक इनमें सशक्त समन्वय स्थापित करने के लिए अभिभावक एवं छात्रों के स्नेह - मिलन कार्यक्रमों का आयोजन करना ।
16. भूतपूर्व छात्रों के संपर्क में रहकर उनका समूह बना कर, उनसे सह- संबंध बनाए रखना ।
17. ग्रंथालय में विभागीय पाठ्यपुस्तकें, संदर्भ ग्रंथ, पत्र - पत्रिकाओं की संख्या में वृद्धि करना ।
18. छात्रों को नये तंत्रज्ञान के संसाधनों का परिचय एवं प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना ।
19. छात्रों को संगणक संचालन, देवनागरी टंकण तथा नेट से अध्ययन - सामग्री, ई-बुक्स आदि ढूँढने के लिए प्रेरित करना ।
20. छात्रों में ग्रंथ - संचयन, वाचन, अवलोकन, परीक्षण, समीक्षा - दृष्टि, भाषाई एवं अभिव्यक्ति कौशल निर्माण कर विकसित करना ।

#### 4. सावधानता, संभाव्यता और अन्य बातें -

1. विभाग के छात्रों की संख्या में वृद्धि करना ।
2. छात्रों में साहित्य वाचन, भाषाई, संवाद, वक्तृत्व, लेखन कौशल विकसित करना ।
3. छात्रों में शुद्ध लेखन शुद्ध उच्चारण, व्यवहार, नीति, मूल्य, संस्कार, संस्कृति, सभ्यता,

रिश्ते - नाते आदि के प्रति जागृकता, प्रेम की प्रवृत्ति एवं दृष्टि विकसित करना ।

4. छात्रों में सेवा, ज्ञान, शील या चरित्र, सत्य एवं प्रेम इन शाश्वत जीवन - मूल्यों के प्रति

भाव व विचार एवं आचरण, व्यवहार में लाने के लिए प्रेरित करना ।

5. छात्रों में भाषाई, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक - दृष्टि, राष्ट्रप्रेम, अस्मिता निर्माण कर राष्ट्रीय एकता, बंधुता, समता के भाव , विचार और दृष्टि निर्माण करना ।

6. छात्रों में भाव, बुद्धि या विचार, कल्पना एवं शैली की कुशलता विकसित करना ।

7. छात्रों में भाषा, साहित्य, प्रकृति, संस्कृति, भूगोल, इतिहास, राष्ट्रीय धरोहर, अवधारणा,

परिधान, परिवेश, भोजन संस्कृति, त्यौहार और मानवता से परिपूर्ण एक सच्चा नागरिक

निर्माण करने का प्रयास करना ।

## 5. अंतर विभागीय सह - संबंध -

1. परीक्षा विभाग द्वारा परीक्षा के संदर्भ में कम को पूरी निष्ठा से प्रधानता देकर गोपनीयता के साथ पूर्ण करना ।
2. परीक्षा के बाद उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर अंक सूची के साथ समय पर जमा करना और जतन करके रखना ।
3. महाविद्यालयीन विविध समितियों का कम समय पर पूर्ण करके उसके फोटो, प्रतिवेदन,  
समाचार आदि सुरक्षित रखना ।
4. विभाग तथा अन्य कार्यक्रमों का साप्ताहिक, मासिक एवं वार्षिक प्रतिवेदन IQAC को समय पर देना ।
5. सांस्कृतिक विभाग द्वारा आयोजित सभी कार्यक्रमों में अन्य सभी विभागों को सहभागी कर लेना ।

6. राष्ट्रीय सेवा योजना ( NSS ), राष्ट्रीय कैडेट कोर ( NCC ) के सभी कार्यक्रमों में स्वयं

मदद करना ।

7. NAAC और IQAC विभागो ने मांगी सभी जानकरियां उन्हें समय पर सौंपना ।

8. छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नये पाठ्यक्रमों की पाठ्यपुस्तकें एवं संदर्भ - ग्रंथ उपलब्ध करना ।

9. महाविद्यालय के प्रशासकीय बंधुओं के द्वारा मांगी गई जानकरियाँ तुरंत देकर उन्हें सहायता करना ।

10. छात्रों में जन, जल, जमीन और जंगल के प्रति प्रेम निर्माण करना ।

11. छात्रों में भारत सरकार, राज्य शासन की विविध स्पर्धा परीक्षा और नेट / सेट परीक्षाओं के लिए मार्गदर्शन कर प्रोसाहित करना ।

**हिंदी विभागाध्यक्ष**

**ए. व्ही. पाटील**

**प्राचार्य**

**डॉ.**